

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>सामान</u>		प०म० <u>खसरा</u>		मू०अ०नि०युक्त <u>आबूरोड</u>		तहसील- <u>सिरोंही</u>	
क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	45	439 440 441  किता 14 कुल रकबा	3.6165 है०	मन्सा पुत्र कुला हि. 1/4 जानि - गारासिमा सा. देह खातेदार रासिनि हि. 1/4 (पूर्व खाता) राजस्थान मन्सा ग्रामीण बैंक शाखा किवली श्रीधर खाता बंद नु. जमाबंदी	मन्सा पुत्र कुला हि. 1/4 जानि - गारासिमा सा. देह खातेदार रासिनि हि. 1/4 (पूर्वखाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किवली श्रीधर खाता बंद नु. जमाबंदी		

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संवत् 2075-2078 (2019/20) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड के समक्ष श्रवण योग्य है।

Bhanu  
24/12/25

पटवारी भूखण्ड

दिनांक \_\_\_\_\_ पटवारी भूखण्ड  
तहसील-आबूरोड (सिरोंही)

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

R. N.  
दिनांक 24/12/25  
ह० मू०अ०नि०  
आबूरोड

प०हल्का खसरा  
मू०अ०नि० आबूरोड  
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण धन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

W. R.  
24/12/25  
ह० मू०अ०नि०  
तहसील-आबूरोड  
जिला-सिरोंही

प०हल्का खसरा  
मू०अ०नि० आबूरोड  
राजस्व अधिकारी भूखण्ड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड  
ह० उपखण्ड अधिकारी